सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. DT/8/2017/MHRD2/SEOTH/RU-III

6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
दिनांक /Dated: 11/10/2017

To,

Vice Chancellor,
University of Delhi
New Delhi-110007

Sub: Representation dated 12.05.2017 of Shri Donyod Tashi, Village-Brua, Tehsil-Sangla, District-Kinnaur (Himachal Pradesh) regarding request to consider my case for admission in Ph. D in the Buddhist Studies

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Vice-Chairperson, NCST, on 25/07/2017 for taking necessary action. The compliance report in the matter may please be furnished to the Commission immediately.

Yours faithfully,

(S. P. Meena)
Assistant Director

Copy to:

7308.09
11/10/17

Shri Donyod Tashi,
Village-Brua, Tehsil-Sangla,
District-Kinnaur-172105
(Himachal Pradesh)

OL

2. SAS, NIC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- DT/8/2017/MHRDI/SEOTH/RU-III)

श्री द्योनोद ताशी गाँव- ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला- किन्नौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग मे पीएचडी पाठ्यक्रम मे प्रवेश नही होने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 25.07.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री द्योनोद ताशी, गाँव- ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला- किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग मे पीएचडी पाठ्यक्रम मे योग्यता रखते हुये भी प्रवेश नही मिलने के मामले मे दिनांक 12.05.2017 को आयोग मे अभ्यावेदन दिया।
2. आयोग ने कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा विभागाध्यक्ष, बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से दिनांक 12.05.2017 को भेजे पत्र तथा दिनांक 04.07.2017 के स्मरण पत्र के माध्यम से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। इसके प्रत्युत्तर मे विभागाध्यक्ष, बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय का दिनांक 23.05.2017 का प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ। आयोग के स्मरण पत्र के जवाब मे श्री के टी एस सराओ, विभागाध्यक्ष, बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय का दिनांक 18.07.2017 को प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ जिसमे उन्होने बताया कि श्री ताशी के मामले मे विभाग की जांच समिति बैठक कर इस पर फैसला लेते हुये आयोग को सूचित करेगी। किन्तु समिति की जांच और फैसले से आयोग को सूचित नही किया गया। इस के पश्चात श्री ताशी ने आयोग से मामले मे कार्यवाही के लिए निवेदन किया। आयोग ने इस पर संज्ञान लेकर कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा विभागाध्यक्ष, बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय को मामले मे चर्चा के लिए दिनांक 25.07.2017 को बुलाया।
3. प्रो॰ हीरा पॉल गोंगनेगी, पूर्व विभागाध्यक्ष, बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के उप रजिस्ट्रार बैठक मे चर्चा के लिए आए।
4. आयोग ने अभ्यावेदक से अपनी समस्या स्पष्ट करने हेतु कहा जिस पर श्री ताशी ने बताया कि उनका अकादमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उन्होने 2011 में कला संकाय से

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा 2013 मे बौद्ध दर्शन मे परास्नातक परीक्षा प्रथम श्रेणी मे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, लखनऊ से उत्तीर्ण की। उन्होने 05 जून 2015 को नेट तथा जेआरएफ़ आवार्ड तथा 2016 मे एम फिल की उपाधि भी प्राप्त की है। इसके बावजूद उन्हे संबन्धित पाठ्यक्रम मे प्रवेश नही दिया गया और ना ही विभाग ने इस पाठ्यक्रम मे किसी जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया।

5. प्रो॰ हीरा पॉल गोंगनेगी, पूर्व विभागाध्यक्ष, बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अवगत कराया कि नवंबर 2016 मे पीएचडी पाठ्यक्रम हेतु विभाग द्वारा 5 सीट विज्ञापित की गई थी तथा उसमें आरक्षण के नियमानुसार अनुसूचित जनजाति की एक भी सीट नही बनती। अतः इस श्रेणी के अंतर्गत श्री तोशी को प्रवेश नही दिया जा सकता। इस पर आयोग ने जुलाई 2016 की प्रवेश प्रक्रिया के बारे मे जानना चाहा तो प्रो॰ हीरा पॉल गोंगनेगी, ने अवगत कराया कि उस समय कुल 25 सीट विज्ञापित की गई थी तथा नेट और गैर नेट उपाधि धारक आधार पर अभ्यर्थियों को पीएचडी पाठ्यक्रम मे प्रवेश दिया गया। इस दौरान श्री तोशी का एम फिल का परिणाम घोषित नही हुआ था अतः उन्हे प्रवेश प्रक्रिया मे शामिल नही किया जा सका। इस पर श्री तोशी ने बताया कि मेरे साथ एम फिल करने वाले छात्रों को तो प्रवेश मिल गया किन्तु मुझे यह कह कर प्रवेश से वंचित रखा गया कि मेरा एम फिल का परिणाम नही आया था, यह एक विरोधाभास पैदा करता है।

6. आयोग का मानना है कि इस मामले मे श्री तोशी के पीएचडी पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया मे पूर्ण पारदर्शिता नही बरती गई है और स्थिति स्पष्ट नही हो पा रही है। अतः आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय को सलाह दी कि वह 15 दिन के अंदर आयोग को निम्नलिखित जानकारी संबन्धित दस्तावेज़ के साथ उपलब्ध कराएं -

    1 एम फिल पाठ्यक्रम 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 मे पंजीकृत तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की नाम सहित सूची, पर्यवेक्षक के नाम तथा क्षेत्र कार्य प्रतिवेदन जमा करवाने एवं साक्षात्कार की तिथि के साथ।

    2 पीएचडी पाठ्यक्रम मे 2015, 2016 तथा 2017 मे प्रवेश प्राप्त शोधार्थियों की सूची पर्यवेक्षक के नाम के साथ।

    3 पीएचडी पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु नियम एवं योग्यता साथ ही पाठ्यक्रम मे आरक्षण के नियम जिसमें विदेशी छात्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य यदि कोई हो तो उनकी आरक्षित सीट का विवरण।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- DT/8/2017/MHRDI/SEOTH/RU-III)

श्री द्योनोद ताशी गाँव- ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला- किन्नौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग मे पीएचडी पाठ्यक्रम मे प्रवेश नही होने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुइया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्रीमती के॰ डी॰ बंसोर, निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी

1. प्रो. एच. पी. , बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
2. डॉ. एच. पी. , बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली